

प्रोफार्मा-अ  
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०

44378

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद..... फ़िरौजाबाद .....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या FS 80/ फायर उपकरण कार्यशीलता/2020

दिनांक 17/01/2020

सेवा में,

स्वामी / प्रबंधक,

मेवारी - 8-दा भूमिरूपल पब्लिक  
स्कूल, एटिफर-बीड, फ़िरौजाबाद  
जनपद..... फ़िरौजाबाद.....

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या..... — .....दिनांक 15/01/2020

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10  
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के  
अनुसार निर्धारित बाल्क रूपये 100/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा फ़िरौजाबाद  
जनपद फ़िरौजाबाद में चालान संख्या 00040 दिनांक 17/01/2020 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद  
प्राप्त होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 5/01/2020
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। —
3. संस्थान का विवरण। 84वें फ़्लोर
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
	<u>ABC type</u>	<u>06 Kg.</u>	<u>06</u>	<u>कार्यशील</u>
	<u>D.E.P.</u>	<u>05 Kg.</u>	<u>04</u>	<u>11</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी..... FRZ.....
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....

जायद  
(नाम एवं हस्ताक्षर)  
अग्निशमन अ  
मुहर